



2026:AHC:25900

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 864 / 2026

कु. सपना भारती

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: उदय प्रताप

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उदय प्रताप तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. यद्यपि वर्तमान रिट याचिका प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देने के लिए दायर की गई थी कि वे याचिकाकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्य प्रदान करें, लेकिन आज निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि दिनांक 29.01.2026 को याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उक्त नोटिस का जवाब देगी।
3. तदनुसार, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता दिनांक 27.02.2026 तक कारण बनाओ नोटिस दिनांक 29.01.2026 का जवाब प्रस्तुत करे, जिस पर निर्णय लिया जाएगा और उसके पश्चात एक माह की अवधि के भीतर पूरी कार्यवाही तय की जाएगी।
4. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और उन्हें 'परिशिष्ट-ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"